भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

05.02.2020 के

अतारांकित प्रश्न सं. 495 का उत्तर

यात्री किराए और मालभाड़ा शुल्क को युक्तिसंगत बनाना

495. श्री बिद्युत बरन महतोः
श्री नामा नागेश्वर रावः
श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः
श्री गजानन कीर्तिकरः
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिकः
श्री सुधीर गुप्ताः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या रेलवे का रेलगाड़ियों और रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करके और उक्त सुविधाएं प्रदान करके रेलयात्रियों का यात्रानुभव और अच्छा करने का विचार है;
(ख) यदि हां तो, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;
(ग) क्या रेलवे को यात्रियों से होने वाली आय में हानि हो रही है और यदि हां तो, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
(घ) वस्तुओं के परिवहन हेतु मालभाड़ा प्रशुल्क निर्धारित करने के लिए मानदंडों का ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या रेलवे का यात्री किराए और मालभाड़ा दरों को युक्तिसंगत बनाने का विचार है और यदि हां तो, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) यात्री किराए और मालभाड़ा प्रशुल्क के युक्तिकरण के माध्यम से रेलवे द्वारा कितना अतिरिक्त राजस्व सृजित किए जाने की संभावना है?

उत्तर

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क) से (च): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

******

Sk

यात्री किराए और मालभाड़ा शुल्क को युक्तिसंगत बनाने के संबंध में दिनांक 05.02.2020 को लोक सभा में श्री बिद्युत बरन महतो, श्री नामा नागेश्वर राव, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, श्री गजानन कीर्तिकर, श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक और श्री सुधीर गुप्ता के अतारांकित प्रश्न सं. 495 के भाग (क) से (च) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) और (ख): भारतीय रेल का निरंतर प्रयास रहता है कि गाड़ियों और स्टेशनों पर आधुनिकीकरण और सुविधाओं में सुधार के माध्यम से यात्री अनुभव में सुधार हो। इस संबंध में किए गए कुछ उपाय नीचे सूचीबद्ध किए गए हैं:

i. **नई दिल्ली-वाराणसी और नई दिल्ली- श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच अत्याधुनिक ट्रेन-सेट वंदे भारत सेवाएं शुरू की गई हैं। इन गाड़ियों में तेजगति, ऑन बोर्ड ज्ञानरंजन एवं ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) आधारित पैसेंजर यात्री सूचना प्रणाली, ऑटोमैटिक स्लाइडिंग दरवाजे, रिट्रेक्टेबल फुटस्टेप्स और जीरो डिस्चार्ज वैक्यूम बायो टॉयलेट आदि जैसी अत्याधुनिक विशेषताएं हैं।**

ii. **भारतीय रेलों पर हमसफर, तेजस, अंत्योदय, उत्कृष्ट डबल डेकर वातानुकूलित यात्री (उदय), महामना जैसी विभिन्न प्रीमियम गाड़ी सेवाएं और दीन दयालु और अनुभूति जैसे कोच, जिनमें आंतरिक/बाहरी सज्जा और उन्नत यात्री सुविधाएं हैं, की शुरुआत की गई है।**

iii. **भारतीय रेल ने मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में चल रहे आईसीएफ किस्म के सवारी डिब्बों की स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रोजेक्ट उत्कृष्ट भी शुरू किया है। प्रोजेक्ट उत्कृष्ट के तहत मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के 640 रेकों का उन्नयन शुरू कर दिया गया है। प्रोजेक्ट उत्कृष्ट के तहत करीब 300 रेकों में कार्य पूरा हो चुका है।**

iv. **सवारी डिब्बों में पारंपरिक प्रकाश व्यवस्था को आधुनिक और ऊर्जा कुशल एलईडी प्रकाश व्यवस्था से प्रतिस्थापित किया जा रहा है। रेलवे सवारी डिब्बों में अधिक संख्या में मोबाइल चार्जिंग प्वाइंट भी उपलब्ध करा रही है। 3 फेज प्रणोदन प्रणाली सहित इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट (ईएमयू) और मेनलाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट (एमईएमयू) रेक में फोर्स्ड वेंटिलेशन सिस्टम और जीपीएस आधारित जन उद्घोषणा**

और यात्री सूचना प्रणाली (पीएपीआईएस) प्रणाली प्रदान की जाती है। इसके अलावा, पश्चिम रेलवे के मुंबई उपनगरीय क्षेत्र में तीन वातानुकूलित ईएमयू रेक पहले से ही चल रहे हैं और मुंबई उपनगरीय क्षेत्र में इस तरह के दो रेकों को चालू किया जा रहा है।

v. यात्री सुविधाओं में सुधार/उन्नयन/आधुनिकीकरण के लिए विभिन्न कार्य, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, स्टेशन भवन के अग्रभाग में सुधार, विश्रामालय, प्रतीक्षालय, महिलाओं के लिए अलग प्रतीक्षालय, परिचलन क्षेत्र का भूनिर्माण, निर्धारित पार्किंग, संकेतक, पे एंड यूज़ शौचालय, पैदल पार पुल, स्टेशन के प्रवेश द्वार पर रैंप आदि शामिल हैं, उस स्टेशन की संबंधित कोटि के अनुसार रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है और तदनुसार, यातायात की आवश्यकता, मात्रा और पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर तथा धन की उपलब्धता के अध्यधीन किए जाते हैं।

vi. आदर्श स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशनों का उन्नयन/सुधार/आधुनिकीकरण भी शुरू कर दिया गया है। आदर्श स्टेशन योजना के तहत अब तक 1173 स्टेशनों का विकास/उन्नयन किया गया है।

vii. इसके अलावा, वित्त वर्ष 2018-19 में, क्षेत्रीय रेलों द्वारा 68 स्टेशनों का "स्टेशनों के सुलभ उन्नयन" कार्य के तहत काफी हद तक उन्नयन किया गया है। इस सुलभ उन्नयन के तहत, स्टेशन भवन के अग्रभाग में सुधार, यातायात प्रवाह को विधिवत् रूप से व्यवस्थित करने वाले परिचलन क्षेत्रों में सुधार, प्लेटफार्म सतह में सुधार, मौजूदा प्रतीक्षालयों और विश्रामालयों में सुधार, शौचालय सुविधाएं, ऊपरी पैदल पुलों की व्यवस्था, लिफ्ट और एस्केलेटर की व्यवस्था आदि जैसी विभिन्न सुविधाएं शुरू की गई हैं।

(ग): भारतीय रेल यात्री खंड में कुछ परिवहन कार्य करती है जो अलाभकर प्रकृति की हैं लेकिन देश के व्यापक हित में किए जाते हैं। इस कारण होने वाली हानि का आकलन हर वर्ष (वार्षिक आधार) किया जाता है जिसे भारतीय रेल में सामाजिक सेवा दायित्व कहा जाता है।

Sk

पिछले वर्ष में रेलवे द्वारा वहन किए गए सामाजिक सेवा दायित्व का ब्यौरा इस प्रकार है:-

क्र. सं.	विवरण	2018-19 (करोड़ रु. में)
(i)	यात्री किराए में रियायत	1995
(ii)	ईएमयू उपनगरीय सेवाओं के कारण हानि	6754
(iii)	अलाभकर शाखा लाइनों पर हानि	2342
(iv)	सामरिक लाइनों पर हानि	1815
(v)	पार्सल, सामान, डाक और खानपान सेवाओं आदि पर हानि।	5278
(vi)	लागत से कम किराए के मूल्य निर्धारण और अन्य सामाजिक सेवा दायित्वों के कारण हानि	37673
(vii)	कोचिंग सेवाओं पर कुल हानि [(i) से (vi)]	55857
(viii)	कुल सामाजिक सेवा दायित्व (vii) - (v)	50579
(ix)	कर्मचारी कल्याण और कानून और व्यवस्था की लागत को घटाना	12326
(x)	शुद्ध सामाजिक सेवा दायित्व (viii) - (ix)	38253

(घ): रेल द्वारा माल के परिवहन के लिए दरों का निर्धारण कुछ आधारभूत सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है, जिनमें सेवा की लागत, सेवा का मूल्य, परिवहन के वैकल्पिक साधनों से प्रतिस्पर्धा, सामाजिक-आर्थिक स्थिति आदि शामिल हैं।

(ङ) और (च): किराया और मालभाड़ा संरचना के युक्तिकरण से संबंधित विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। फिलहाल, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल, 01.01.2020 से यात्री किरायों को युक्तिसंगत बनाया गया है। इस युक्तिकरण की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

- उपनगरीय और सीजन टिकट में कोई वृद्धि नहीं।
- साधारण (गैर-वातानुकूलित) गैर-उपनगरीय में वृद्धि @1 पैसा प्रति किमी।
- मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों की गैर-वातानुकूलित श्रेणियों में @2 पैसे प्रति किमी की वृद्धि
- वातानुकूलित श्रेणियों में 4 पैसे प्रति किमी की दर से वृद्धि

Sk

01.01.2020 से, यात्री किराए के युक्तिकरण से 2312.36 करोड़ रुपये की अनुमानित अतिरिक्त वार्षिक आय होने की संभावना है। बहरहाल, माल यातायात खंड के संबंध में, भारतीय रेल ने निम्नलिखित पहल कीं हैं:-

- **व्यस्त अवधि प्रभार, जो 1 अक्टूबर से 30 जून तक 15% की दर से वसूला जाता है, को अगली सूचना तक टाल दिया गया है (लौह अयस्क और पीओएल को छोड़कर)। कोयला और कोक और कंटेनर यातायात में पहले ही छूट दी गई है।**
- **रेल दरों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए मिनी रेक और टू प्वाइंट रेक संयोजन से 5% अनुपूरक प्रभार को वापस लेना।**
- **अंतर-जोनल यातायात के लिए मिनी रेक परिचालन के लिए दूरी में 1000 किमी तक की छूट दी गई है। मिनी रेकों को कम गाड़ी लदान दरों के तहत भी बुक किया जाता है।**
- **कंटेनर यातायात के लिए राउंड-ट्रिप कर्षण प्रभार (0-50 किमी के लिए) न्यूनतम दूरी स्लैब शुरू किया गया है जो प्रति टीईयू/राउंड ट्रिप लगभग 35% सस्ता है।**

****

Sk